न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
उत्पाद अधिहरण वाद संख्या–125/2020
बिहार सरकार द्वारा अधीक्षक, मद्यनिषेध, दरभंगा बनाम संतोष कुमार राय

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
27(11).2020	आदेश	

आदेश

प्रस्तुत उत्पाद अधिहरण वाद अधीक्षक, मद्यनिषेध, दरभंगा के पत्रांक–440/म0नि0, दिनांक–18.03.2020 से प्राप्त उत्पाद वाद कांड संख्या–160/2020 (दरभंगा व्यवहार न्यायालय) में बिहार मध निषेध एवं उत्पाद अधिनियम–2016 के अन्तर्गत जब्त वाहन **मोटरसाईकिल होंडा शाईन** रजि0 सं0– BR06CG-5379 को राज्यसात् करने हेतु अनुसंशा के आलोक में प्रारंभ की गई। सामान्य अनुक्रम में विपक्षी वाहन स्वामी संतोष कुमार राय को कारण–पृच्छा हेतु नोटिस निर्गत किया गया। तदालोक में विपक्षी वाहन स्वामी की ओर से कारण पृच्छा दाखिल किया गया है, जो अभिलेख पर संधारित है।

विद्वान् विभागीय अधिवक्ता का कथन है कि उत्पाद विभाग के पदाधिकारियों द्वारा गश्ती के दौरान कृष्णा मंदिर के पास सड़क पर बाकरगंज, लहेरियासराय के पास वाहन चेकिंग के क्रम में दो व्यक्ति दुर से गश्ती दल को देखकर भागने लगे, जिसका पीछा कर रोका गया। तत्पश्चात विधिवत तलाशी लेने पर वाहन **मोटरसाईकिल होंडा शाईन** रजि0 सं0– BR06CG-5379 पर लाद कर ले जा रहे बैग से इम्पेरियल ब्लू कम्पनी का 180 एम0एल0 का 88 पीस कुल 15.840 लीटर अवैध विदेशी शराब बरामद हुआ, जिसे उक्त मोटरसाईकिल के साथ विधिवत जब्त किया गया। चूँकि बिहार राज्य में अवैध शराब का चौर्य व्यापार एवं परिवहन दण्डनीय अपराध है। अतः उक्त जब्त वाहन को राज्यसात् होना चाहिये।

विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि विपक्षी का इस वाद में कोई संलिप्तता नहीं है। उक्त वाहन से कोई अवैध शराब का व्यापार नहीं किया गया है। विपक्षी उक्त घटना की तिथि को अपने संबंधी के घर जा रहे थे कि अचानक पुलिस वहाँ पहुँची और शक के आधार पर पकड़ लिया गया। विपक्षी द्वारा बताया गया कि वाहन मेरा है और किसी अवैध शराब के परिवहन से उनका कोई संबंध नहीं है। अतः उक्त जब्त वाहन को मुक्त करने की कृपा की जाय।

उभय पक्ष को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त जब्त वाहन **मोटरसाईकिल होंडा शाईन** रजि0 सं0– BR06CG-5379 पर लाद कर ले जा रहे बैग से इम्पेरियल ब्लू कम्पनी का 180 एम0एल0 का 88 पीस कुल 15.840 लीटर अवैध विदेशी शराब बरामद हुआ, जिसे उत्पाद विभाग के पदाधिकारियों द्वारा विधिवत उक्त वाहन के साथ जब्त किया गया। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम –2016 की धारा 56(घ) के तहत उक्त वाहन का उपयोग अवैध देशी चुलाई शराब के परिवहन में किया जा रहा था। जबकि बिहार राज्य में अवैध शराब का चौर्य व्यापार, परिवहन तथा भंडारण प्रतिबंधित एवं दण्डनीय अपराध है।

विपक्षी वाहन स्वामी की ओर से विद्वान अधिवक्ता का कथन एवं कारण पृच्छा के समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया, जिससे कि उनके दावे को बल मिलता हो। जबकि दो स्वतंत्र साक्षी के समक्ष उक्त वाहन से शराब बरामद हुआ है।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–5049/2018 दिवाकर कुमार सिंह बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.03.18 के अनुपालन में उक्त नियामक तथ्यों से स्पष्ट

है कि बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 56(घ) के तहत संबंधित वाहन का उपयोग अवैध शराब के परिवहन में किया जा रहा था, जिसे राज्यसात् करने का प्रस्ताव समर्पित किया गया है। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 58(3) के अनुरूप संबंधित वाहन स्वामी को समुचित अवसर प्रदान किया गया है।

अतएव उपरोक्त तथ्य के आलोक में उत्पाद वाद कांड संख्या–160/2020 (दरभंगा व्यवहार न्यायालय) में उत्पाद अधिनियम–2016 के अन्तर्गत जब्त वाहन **मोटरसाईकिल होंडा शाईन** रजि0 सं0– BR06CG-5379 को बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 58(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 56(घ) के तहत राज्यसात् करने का आदेश दिया जाता है।

यदि संबंधित पक्षकार इस आदेश से असंतुष्ट हैं, तो 90 दिनों के अन्दर अपीलीय प्राधिकार, आयुक्त उत्पाद, बिहार के न्यायालय में अपील दायर कर सकते हैं।

आदेश की प्रति अधीक्षक, मद्यनिषेध, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति आयुक्त उत्पाद, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजें।

उपर्युक्त विवेचना के साथ इस वाद कि कार्यवाही समाप्त कि जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा